

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर  
पीठासीन अधिकारी-पीयुष समारिया, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या- 421/2022  
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर- 2022/532

प्रार्थी

केनरा बैंक एक निगमित निकाय है। बनाम  
जिसका प्रधान कार्यालय 112 नागारथ  
पेटे जे.सी. रोड बेंगलूरु में स्थित व  
कार्यरत है। जिसका एक शाखा  
कार्यालय आस्ति वसूली प्रबन्धन शाखा  
बी-6, ए.एल. सेठी कॉलोनी जयपुर  
स्थित व कार्यरत है। जरिये प्राधिकृत  
अधिकारी श्री अनुराग कुमार है।

अप्रार्थीगण

मैसर्स नवीन रेडिमेट व अन्य जरिये विधिक वारिसान  
स्व. प्रोपराईटर हरेन्द्र जाट  
1. Mrs. Tija Devi W/o Late Harendra Jat (Legal  
Heir)  
2. Mr. Master Devender Jat S/o Mr. Harendra  
Jat (Minor) represented through natural  
guardian Tija Devi (Mother) (Legal Heir)  
3. Miss Dippika Chaudhary D/o Mr. Harendra  
Jat (Minor) represented through natural  
guardian Tija Devi (Mother) (Legal Heir)  
4. Mrs. Panchee Devi W/o Mangla Ram Jat  
(Mother of Late Harendra Jat) (Legal Heir)  
Add. Village Naradhana, Deediya Kalan,  
Tehsil Jayal, Nagaur 341027

आदेश

दिनांक: 17-01-2023

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और  
प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ, जो दर्ज रजिस्टर किया गया।

वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी  
बैंक ने अप्रार्थी/ऋणी को रूपये 2,00,000/- (अक्षरे दो लाख रूपये मात्र) दिनांक 16.06.2020 एवं  
17,25,000/- (अक्षरे रूपये सत्रह लाख पच्चीस हजार मात्र) दिनांक 26.06.2021 इस प्रकार दोनो खातों से रूपये  
19,25,000/- (अक्षरे रूपये उन्नीस लाख पच्चीस हजार मात्र) का ऋण उपलब्ध करवाया गया।  
अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में सम्पत्ति- स्व. हरेन्द्र जाट पुत्र मंगला राम जाट  
की आवासीय बंधक सम्पत्ति जो कि पट्टा नम्बर 33, संकल्प नम्बर 1 दिनांक 27.06.2018, शहीद स्मारक के  
पास, गांव नराधनां, ग्राम पंचायत डीडियाकलां, तहसील जायल, नागौर 341027 पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन  
एवं ढांचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप कुल 4635.83 वर्ग फीट है। चतुर्थ सीमाएं- उत्तर में-  
आम्र गुवाडी, दक्षिण में- श्री ओम प्रकाश का मकान, पूर्व में- श्री रतनाराम का मकान, पश्चिम में- रस्ता जो  
प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एवं जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नहीं चुकाया। जिसकी वजह से  
उक्त खाते को दिनांक 30.12.2021 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खातों में  
रूपये 20,25,714.46/- (अक्षरे रूपये बीस लाख पच्चीस हजार सात सौ चौदह एवं पैसा छियालीस मात्र) दिनांक  
31.1.2022 तक जिस पर आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित राशि बकाया निकलते हैं।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एकट  
की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 18.02.2022 को रजिस्टर्ड दिये गये परन्तु  
इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पत्ति सम्पूर्ण कब्जा  
प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण राशि रूपये  
20,25,714.46/- (अक्षरे रूपये बीस लाख पच्चीस हजार सात सौ चौदह एवं पैसा छियालीस मात्र) दिनांक



जिला मजिस्ट्रेट  
नागौर

31.1.2022 तक जिस पर आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित राशि को जमा कराना था परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पत्ति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्वोरिटीज एवं सिक्वोरिटीज से संबंधित डोक्यूमेंट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैंक सिक्वोरिटीज सम्पत्ति का विवरण :- स्व. हरेन्द्र जाट पुत्र मंगला राम जाट की आवासीय बंधक सम्पत्ति जो कि पट्टा नम्बर 33, संकल्प नम्बर 1 दिनांक 27.06.2018, शहीद स्मारक के पास, गांव नराधनां, ग्राम पंचायत डीडियाकलां, तहसील जायल, नागौर 341027 पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप कुल 4635.83 वर्ग फीट है। चतुर्थ सीमाएं- उत्तर में- आम गुवाडी, दक्षिण में- श्री ओम प्रकाश का मकान, पूर्व में- श्री रतनाराम का मकान, पश्चिम में- रास्ता जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डोक्यूमेंट्स का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से रुपये 2,00,000/- (अक्षरे दो लाख रुपये मात्र) दिनांक 16.06.2020 एवं 17,25,000/- (अक्षरे रुपये सत्रह लाख पच्चीस हजार मात्र) दिनांक 26.06.2021 इस प्रकार दोनो खातों से रुपये 19,25,000/- (अक्षरे रुपये उन्नीस लाख पच्चीस हजार मात्र) प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरानामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:- प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या च्छिंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर -(क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध में पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व में सम्पत्ति- स्व. हरेन्द्र जाट पुत्र मंगला राम जाट की आवासीय बंधक सम्पत्ति जो कि पट्टा नम्बर 33, संकल्प



जिला मजिस्ट्रेट  
नागौर

नम्बर 1 दिनांक 27.06.2018, शहीद स्मारक के पास, गांव नराधनां, ग्राम पंचायत डीडियाकलां, तहसील जायल, नागौर 341027 पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सम्पति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप कुल 4635.83 वर्ग फीट है। चतुर्थ सीमाएं- उत्तर में- आम गुवाडी, दक्षिण में- श्री ओम प्रकाश का मकान, पूर्व में- श्री रतनाराम का मकान, पश्चिम में- रास्ता जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध में संबंधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।



(धीयुष समारिया)  
जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट  
जिला नागौरस्ट्रेट  
नागौर